रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1975 (अग्रहायण 22, 1897)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1975 (AGRAHAYANA 22, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 11 नवम्बर 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 11th November 1975:—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
220.	सं० 116-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 7 नवम्बर, 1975।	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।
	No. 116-ITC (PN)/75, dated the 7th November, 1975.	Ministry of Commerce	Import policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976.
221.	सं० प्रति अदायगी/सा० सू०-79/75, दिनांक 10 नवम्बर, 1975।	वित्त मंत्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० प्रति अदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-79/75, dated the 10th November, 1975.	Ministry of Finance	Amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971.
222.	सं० 117-आई० टी० सी० (पी० एन०) 75, दिनांक 11 नवम्बर, 1975।	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च 1976 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति।
	No. 117-ITC (PN)/75, dated the 11th November, 1975.	Ministry of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1975—March, 1976.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाईन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियंत्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
223.	स० 48-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 1975 ।	वाणिज्य मंत्रालय	अभ्रक विभिन्न प्रकारों श्रेणियो और किस्मो का जहाज तक नि.शुल्क/जहाज पर्यन्त नि.शुल्क कीमतों को प्रदर्शित करने वाली कीमत अनुसूचियां और उनके निर्यात के सम्बन्ध मे लागू अन्य शर्तें ।
	No. 48-ETC (PN)/75, dated the 11th November, 1975	Ministry of Commerce	Price Schedules showing I A S /F O.B price of different varieties, grades and qualities of mica and other conditions applicable to their export
224.	स० 118-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 1975 (प्रकाशन दिनांक 12 नवम्बर, 1975) ।	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 वर्ष के लिए आयात नीति ।
	No. 118-ITC (PN)/75, dated 11th November, 1975 (Issue date—12th November, 1975).	Ministry of Commerce	Import policy for the year April, 1975—March, 1976
225.	स० 49-ई०टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 13 नवम्बर, 1975 ।	वाणिज्य मंत्रालय	भारत सूडान व्यापार व्यवस्था, 1975–76 के अन्तर्गत सूडान को निर्यात ।
	No. 49-ETC (PN)/75 dated the 13th November, 1975	Ministry of Commerce	Exports to Sudan under Indo-Sudan Trade Arrangement, 1975-76
226.	स० 119-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75, दिनांक 15 नवम्बर, 1975 ।	वाणिज्य मंत्रालय	आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंड बुक, 1975-76–वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा फालतू पुर्जों का आयात ।
	No. 119-ITC (PN)/75, dated the 15th November, 1975.	Ministry of Commerce	Import Trade Control Hard Book of Rules and Procedure, 1975-76—Import of spare parts by actual users.

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमो, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 863

भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 1919

भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशो और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1619

भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . —

भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयको संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . —

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 3387

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयो और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 4245

भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . 529

भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोकसेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 10549

भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस . 845

भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 29

भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 2139

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 217

CONTENTS

विषय-सूची

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 863

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1919

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. —

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence 1619

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 3387

PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 4245

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 529

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. 10549

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. 845

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners. 29

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2139

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. 217

भाग I—खंड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली–110001, दिनांक 2 दिसम्बर, 1975

शुद्धिपत्र

संख्या 11/6/75–के०से० (II) भारत के राजपत्र भाग 1 खण्ड (I) में 22 नवम्बर, 1975, को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 11/6/75–के०से० (II) में लिपिक श्रेणी परीक्षा 1976 के लिए दिए गए नियमों के नियम 8 के खण्ड (III) को हटा दिया जाए।

के० बी० नायर, अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी-कार्य विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 1975

आदेश

सं० 7/11/75-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क के खंड (1) के उपखंड (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के श्री आर० अघोरमूर्ति, उप निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता को, कथित धारा 209क के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करती है।

ए० के० घोष, अवर सचिव

वाणिज्य मन्त्रालय
विपणन विकास निधि—नाम परिवर्तन
नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्तूबर, 1975

संकल्प

सं० 13(3)वि० वि० नि०/73—विपणन विकास निधि से सहायता अनुदान देने की लेखा प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया गया है। यह देखा गया है कि भारत की समेकित निधि डेबिट करने और डिपाजिट सैक्शन में विपणन विकास निधि का सृजन करने और वर्ष के अन्त में उस निधि में शेष राशि को समाप्त करने की व्यवस्था रखने संबंधी समस्त लेखा प्रक्रिया से कोई सुनिश्चित लाभ नहीं होता। विपणन विकास निधि का सृजन करने अर्थात् निर्यात विकास के प्रयोजनार्थ कुछ धनराशि नियत करने और इस कार्य को ऊंचा उठाने का उद्देश्य विपणन विकास निधि को चलाये बिना अर्थात् भारत की समेकित निधि में से डिपाजिट सैक्शन में विपणन विकास निधि का अन्तरण किये बिना इस प्रकार के निर्यात विकास के लिए भारत की समेकित निधि में संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट व्यवस्था करके और मंत्रालय की ब्यौरेवार मांगों में उपयुक्त विवरणात्मक टिप्पणियां शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। अतः भारत की समेकित निधि में से और से डिपाजिट सैक्शन में विपणन विकास निधि का अन्तरण करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय किया गया है। भविष्य में "निर्यात संवर्धन और विपणन विकास" पर व्यय के लिए व्यवस्था भारत की समेकित निधि में केवल एक ही शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

इससे किसी भी प्रकार से निर्यातकों की पात्रता की स्थिति और सरकार के वार्षिक और निर्यात विकास के लिए सहायता अनुदान देने की इस योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् जैसा कि अब तक होता रहा है "निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास हेतु सहायता" उप शीर्ष के अन्तर्गत की गई व्यवस्था में से व्यय का प्रबन्ध विपणन विकास निधि के प्रबन्ध के लिए स्थापित समिति तथा उप समितियों द्वारा की जाती रहेगी।

सं० 10(1)/63(समन्वय)II/दिनांक 5 जुलाई, 1963 के अधीन अधिसूचित संकल्प के अन्तर्गत स्थापित और शक्ति प्रदत्त समितियों को अब आगे विपणन विकास सहायता समितियां कहा जाएगा। संकल्प के अन्तर्गत स्थापित निधि को, जिसे सं० 10(1)/63/नि० सं० (समन्वय); दिनांक 5 जुलाई, 1963 के अधीन अधिसूचित किया गया था, समाप्त किया जाएगा और भारत के निर्यात व्यापार के विविधीकरण और बाहर के देशों में भारतीय उत्पादों और वस्तुओं के विपणन के विकास के लिए सहायता की योजना का नया नाम अर्थात् विपणन विकास सहायता रखा जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डा० ए० के० सेन गुप्त, आर्थिक सलाहकार

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1975

संकल्प

सं० जे० 11011/8/72-पी० पी० डी०—भारत सरकार के संकल्प संख्या जे० 11011/8/72-पी० पी० डी० दिनांक 16 मार्च, 1974 के पैराग्राफ 8 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने तेल मूल्य समिति तथा उसके स्टाफ के कार्य काल को फरवरी, 1976 के अन्त तक बढ़ा दिया है।

एम० रामास्वामी, संयुक्त सचिव

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1975

संकल्प

सं० 07011/3/72-नमक—भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 7 अक्तूबर, 1974 के क्रम में, भा स

सरकार एतद्द्वारा नमक के केन्द्रीय और क्षेत्रीय परामर्शदाता बोर्डों में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

सदस्य क—केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड

15(6) श्री हरीशंकर सिद्धांत शास्त्री,
तोपखाना रोड, जयपुर (राजस्थान)।

(3) पश्चिम बंगाल

3 श्री सरकार अमजद अली,
संसद सदस्य,

पता: (1) 99, साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली।

(2) ग्राम: मुंशीडंगा, पो० ओ० : बांकारा,
पुलिस स्टेशन डोमजर,
हावड़ा जिला (पश्चिम बंगाल)।

(4) उड़ीसा

4 श्री सी० डी० परीडा, सहायक सचिव,
बारबिल वर्कर्स यूनियन, पो० आ० : बारबिल,
जिला : कोझर, उड़ीसा।

(श्री के० एन० पाठक संयुक्त सचिव, गंगपुर लेबर यूनियन, बीरमित्रापुर, पो० आ०—सुरेन्द्रनगर जिला के स्थान पर जिसे इस मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 11 अगस्त, 1975 द्वारा अधिसूचित किया गया था)।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दिया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए।

आर० रामानुजम, अवर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 1975

संकल्प

स० एफ० 1-64/75-एस० एस० डी० (डब्ल्यू०)—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में स्वयंसेवी अभिकरणों को सहायता देने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी ताकि इस देश में समाज कल्याण कार्यक्रमों में सुधार हो और उनका विकास किया जाए। बोर्ड को सौंपे गए विशेष क्षेत्र हैं, बच्चों, स्त्रियों और विकलांग व्यक्तियों का कल्याण। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का विकास करता रहा है। इसके प्रमुख चालू कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :—

(1) स्वयंसेवी कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान।
(2) महिला मंडलों को सहायक अनुदान।
(3) अवकाश शिविर कार्यक्रम।
(4) कार्यशील महिलाओं के लिए होस्टल।
(5) सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम।
(6) कल्याण विस्तार परियोजनाएं (शहरी, पुराने ढंग की तथा सामुदायिक विकास)।
(7) विशेष कल्याण योजनाएं :—
(क) समेकित स्कूल-पूर्व परियोजनाएं।
(ख) पालन-पोषण देखभाल कार्यक्रम।
(ग) भूतपूर्व प्रदर्शन परियोजनाओं में बालवाड़ियां।
(8) क्षेत्र सलाह तथा निरीक्षण।
(9) सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम।
(10) प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
(11) परिवार और बाल कल्याण कार्यक्रम।

2. ये कार्यक्रम लम्बे समय से चल रहे हैं। कुछ कार्यक्रम 1953 से, जब कि बोर्ड की स्थापना हुई, बिना किसी खास परिवर्तन या संशोधन के चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों पर फिर से अवलोकन करने की जरूरत है ताकि समाज कल्याण के उन क्षेत्रों की खोज की जाए जहां ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं तथा इस बात का पता लगाया जाए कि क्या लोगों की आजकल की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान कार्यक्रम सुसंगत हैं।

3. इसलिए एक छोटा सा कार्यकारी दल स्थापित करने का संकल्प किया जाता है, जिसमें समाज कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यकारी दल की संरचना निम्नलिखित होगी :—

(1) श्री के० आर० रामचन्द्रन, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग। — अध्यक्ष
(2) श्रीमती आर० एम० शरोफ, वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय। — सदस्य
(3) संयुक्त निदेशक (समाज कल्याण), योजना आयोग, नई दिल्ली। — सदस्य
(4) सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली। — सदस्य
(5) निदेशक (एस० एस० डी०) समाज कल्याण विभाग। — सदस्य
(6) निदेशक (यो० शो० मू० प्र०), समाज कल्याण विभाग। — सदस्य
(7) निदेशक, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान। — सदस्य
(8) निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान — सदस्य
(9) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य
(10) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग, नई दिल्ली। — सदस्य

4. इस कार्यकारी दल के लिए विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के बाद से जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनके संदर्भ में तथा बोर्ड द्वारा पहले नियुक्त की गई समितियों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के वर्तमान कार्यक्रमों का पूर्ण मूल्यांकन करना ।

(2) बोर्ड के कार्यक्रमों की नए सिरे से जांच करना ताकि समाज कल्याण के उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां ये कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं ।

(3) यह पता लगाना कि क्या लोगों की आजकल की जरूरतों को देखते हुए ये कार्यक्रम सुसंगत हैं ।

(4) यदि कोई ऐसे कार्यक्रम हैं, जिन्हें बंद करके नए कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है तो ऐसे कार्यक्रमों को निर्दिष्ट करना ।

(5) कार्य के नए क्षेत्रों में तथा उन इलाकों में जहां कमजोर वर्गों के लोग रहते हैं स्वयंसेवी प्रयत्न को बढ़ावा देने के लिए तरीकों का सुझाव देना ।

(6) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने तथा उन्हें अधिक क्षेत्रों में चलाने के लिए किसी अन्य उपाय का सुझाव देना ।

5. दल अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 1976 तक पेश करेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए : –

1. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग ।
2. सब राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र ।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
5. लोक सभा/राज्य सभा/प्रधान मंत्री सचिवालय ।
6. मंत्रीमण्डल सचिवालय ।
7. पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली ।
9. वित्त मंत्रालय (एस० डब्ल्यू० एल० ब्रांच), नई दिल्ली ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० आर० रामाचन्द्रन, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

Department of Personnel & Administrative Reforms

New Delhi-1, the 2nd December 1975

No. 11/6/75-CS(II).—In the Rules for the Clerks' Grade Examination, 1976, contained in this Department's Notification No. 11/6/75-CS-II, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 22nd November, 1975, clause (iii) of rule 8 shall be deleted.

K. B. NAIR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 15th November 1975

ORDER

No. 7/11/75-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of Clause (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri R. Aghoramurthy, Deputy Director of Inspection, Calcutta, in the Department of Company Affairs, Government of India, for the purpose of the said section 209A.

A. K. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th October 1975

Marketing Development Fund—Change of Nomenclature

RESOLUTION

No. 13(3)MDF/73.—The working of system of accounting of grants-in-aid from Marketing Development Fund has been reviewed. It has been observed that the entire accounting exercise of debiting Consolidated Fund of India and creating Marketing Development Fund in the Deposit Section and allowing the balance in that Fund to lapse at the end of the year does not have any tangible advantage. The object of creating Marketing Development Fund viz. earmarking certain amount of money for purpose of export development and high-lighting this activity can be achieved by making specific provision for the purpose under the Major Head concerned in the Consolidated Fund of India for such export development and giving suitable descriptive notes in detailed Demands of the Ministry, without operating the MDF Fund i.e. transfer to MDF in Deposit Section from and to the Consolidated Fund of India. It has, therefore, been decided to do away with the practice of transfer to Marketing Development Fund in the Deposit Section from and to the Consolidated Fund of India. In future provision for expenditure on "Export Promotion and Market Development" will be made under one head alone in the Consolidated Fund of India.

This in no way will affect the frame work of eligibility of exporters and the liability of the Government and this scheme of giving grant-in-aid for export development i.e. expenditure from provision under the sub-head "Assistance for Export Promotion and Market Development" will continue to be administered by the Committee and Sub-Committees set up for administering Marketing Development Fund as hitherto-fore.

The Committees set up under Resolution notified under No. 10(1)/63(Coord)/11, dated 5th July 1963 and powers delegated thereunder will henceforth be called Marketing Development Assistance Committees. The Fund set up under the Resolution, notified under No. 10(1)/63/EP(Coord)1, dated 5th July 1963 will be discontinued and the scheme of assistance for diversification of the export trade of India and to develop marketing of Indian products and commodities in foreign countries, will be given a new nomenclature viz. Marketing Development Assistance.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. A. K. SEN GUPTA,
Economic Adviser

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

New Delhi, the 19th September 1975

RESOLUTION

No. J-11011/8/72-PPD.—In partial modification of para 8 of the Govt. of India Resolution No. J-11011/8/72-PPD, dated the 16th March 1974 Government has extended the tenure of the Oil Prices Committee and of its staff upto the end of February 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territories Administrations, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAMASWAMI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 24th November 1975

RESOLUTION

No. 07011/3/72-Salt.—In continuation of the late Ministry of Industrial Development RESOLUTION of even number dated the 7th October 1974, the Government of India hereby appoint the following persons on the Central and Regional Advisory Boards for Salt :

MEMBERS

A. CENTRAL ADVISORY BOARD

15(vi) Shri Hari Shankar Sidhant Shastri,
Topkhana Desh Road,
Jaipur (Rajasthan).

8. (3) WEST BENGAL,
Shri Sardar Amjad Ali,
Member of Parliament,
Address :—
1.99, South Avenue,
New Delhi.

2. Village Mundhidanga,
PO Bankara,
PS Domjur, Howrah District (WB)

(4) ORISSA,

Shri C. D. Parida,
Assistant Secretary,
Barbil Workers' Union,
PO Barbil,
District keonihar, Orissa.
(Vice Shri K. N. Pathak, Joint Secretary,
Ganepur Labour Union Birmitrapur, PO.
Surendranagar Dt., notified vide this Ministry's
Resolution of even number dated the 11th
August, 1975)

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section I.

R. RAMANUJAM, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-1, the 20th November 1975

RESOLUTION

No. F.1-64/75-SSD(W).—The Central Social Welfare Board was set up in 1953 with the prime object of rendering assistance to voluntary agencies so as to improve and develop social welfare programmes in the country. The special fields entrusted to the Board are welfare of children, women, and the handicapped. The Central Social Welfare Board has been developing various programmes from time to time. The following are their major on-going programmes :—

(i) Grant-in-aid to Voluntary Welfare Institutions.
(ii) Grant-in-aid to Mahila Mandals.
(iii) Holiday Camps programme.
(iv) Hostels for Working Women.
(v) Border Area Programme.
(vi) Welfare Extension Projects (Urban, Old pattern and CD)
(vii) Special Welfare Schemes :—
(a) Integrated Pre-school Projects.
(b) Foster Care Programme.
(c) Balwadis in erstwhile Demonstration Projects
(viii) Field Counselling and Inspection.
(ix) Socio-economic programmes.
(x) Condensed Courses of Education for Adult Women and Vocational Training.
(xi) Family and Child Welfare Programme.

2. These programmes are continuing since long. Certain programmes are continuing with little change or modification ever since the Board came into existence in 1953. There is need to take a fresh look at these programmes with a view to exploring new uncovered areas in the sphare of social welfare and also to ascertain if the existing programmes are relevant against the present-day needs of the people.

3. It is, therefore, resolved to set up a small Working Group comprising of the representatives of the Department of Social Welfare, the Ministry of Finance, the Planning Commission and the Central Social Welfare Board. The following will be the composition of the working group :—

CHAIRMAN

(i) Shri K. R. Ramachandran, Joint Secretary, Department of Social Welfare, New Delhi.

MEMBERS

(ii) Smt. R. M. Sroff, Financial Adviser, Ministry of Finance.
(ii) Joint Director (Social Welfare), Planning Commission, New Delhi.
(iv) The Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
(v) The Director (SSD), Department of Social Welfare, New Delhi.
(vi) Director (PREM), Department of Social Welfare, New Delhi.
(vii) Director, National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi.
(viii) Director, National Institute of Social Defence, New Delhi.
(ix) Joint Secretary, Department of Rural Development, New Delhi.
(x) Joint Secretary, Department of Health and Family Planning, New Delhi.

4. The following will be the terms of reference for this Working Group :—

(i) To make an overall assessment of existing programmes of the Central Social Welfare Board in the context of the social changes that have taken place since the incention of the Board, after taking into consideration the reports of the earlier Committees appointed by the Board.
(ii) To have a fresh look at the programmes of the Board with a view to exploring uncovered areas in the sphare of Social Welfare.
(iii) To ascertain if the existing programmes of the Board are relevant against the present-day needs of the people.
(iv) To indicate programmes, if any, which could be discarded in favour of new ones.
(v) To suggest ways of stimulating voluntary action in new spheres of work and in areas where the weaker sections of people live.
(vi) To suggest any other measure for smooth implementation and wider coverage of the programmes of the Central Social Welfare Board.

5. The Working Group will submit its report by 28th February 1976.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. President's Secretariat, New Delhi.
4. Planning Commission, New Delhi.
5. Lok Sabha/Rajya Sabha/Prime Minister's Secretariats.
6. Cabinet Secretariat, New Delhi.
7. Press Information Bureau, New Delhi.
8. Central Social Welfare Board, New Delhi.
9. Ministry of Finance (SWL Branch) New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

K. R. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975